न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—सुरेश कुमार राव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या:—38 / 2013
जी.सी.एम.एस नं.—2013 / 00122

1. सिलोचना पत्नी छेलुराम पुत्री भीमसैन जाति कुम्हार निवासी चक—9 डी.पी.एम तहसील नोहर जिला हनुमागढ़ (राज.)

—— **प्रार्थीया**

बनाम्

1. जापानी पत्नी रामकुमार पुत्री भमीसैन जाति कुम्हार निवासी अबोहर तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर (पंजाब)
2. सबुरी पत्नी नेकीराम पुत्री भीमसैन जाति कुम्हार निवासी बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर (राज.)
3. जैतल पत्नी बेगराज पुत्री भीमसैन जाति कुम्हार निवासी चक—12 एम.एल.डी तहसील घड़साना जिला अनूपगढ़ (राज.)
4. संतोष पत्नी रामकुमार पुत्री भीमसैन जाति कुम्हार निवासी 365 हैड तहसील घड़साना जिला अनूपगढ़ (राज.)
5. अमृति पत्नी मोहर सिंह पुत्री भीमसैन जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील तहसील नोहर जिला हनुमागनढ़ (राज.)
6. सावित्री पत्नी संतलाल पुत्री भीमसैन जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
7. विमला देवी पत्नी अमलाल पुत्री भीमसैन जाति कुम्हार निवासी अबोहर तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर (पंजाब)
8. लिछमा देवी पत्नी भीमसैन जाति कुम्हार निवासी उतरादाबास तहसील भादरा जिला हनुमागढ़ (राज.)
9. स्टेट ऑफ राज. जरिये तहसीलदार अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ (राज.)

————**अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

वकील उपस्थित

1. श्री मनोहर लाल एडवोकेट	—प्रार्थीया की ओर से
2. श्री रविन्द्र बलाना एडवोकेट	—अप्रार्थीगण संख्या 1,4,5,6 की ओर से
3. श्री पवन कुमार चुघ एडवोकेट	—अप्रार्थीगण संख्या 3,7,8 की ओर से
4. एक पक्षीय कार्यवाही	—अप्रार्थीगण संख्या 2 की ओर से
5. राज पैरोकार	—अप्रार्थीगण संख्या 9 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.07.03 12:19:13 IST
Reason: SelfAttested

—:: **निर्णय** [illegible] 3.12.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि [illegible] 323 / 382 का किला नं.—1 ता 3 सालम एवं किला नं.—4 / 1 का 0.19 हैक्टर, कि[illegible] नं.—5 का 0.063 हैक्टर, किला नं.—8 / 1 का 0.063 हैक्टर, किला नं.—9 / 1 का 0.019 हैक्टर, किला नं.—10

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सालम, किला नं.–11/1 का 0.063 हैक्टर कुल भूमि 1.581 हैक्टर कृषि भूमि जो बाद मे चक–2 के.बी.एम बन गया एवं चक–24ए.पी.डी का मुरब्बा नं.–292/408 का 7 बीघा कुल 13.05 हैक्टर कृषि भुमि पुख्ता वा खातेदारी कृषि भूमि है। आवंटी भीमसैन का देहांत दिनांक–02.08.1996 को हो गया। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण सं.–1 ता 6 भीमसैन के प्रथम श्रेणी के जायज वारिसान है। जिसे आगे चल कर प्रार्थना पत्र मे दर्ज कृषि भूमि कहा जावेगा प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण सं.–1 ता 8 के पिता/पति मूल आवंटी ने अपने जीवन काल मे अपने नाम से खातेदारी कृषि भूमि की एक वसीयत दिनांक–18.08.1981 को प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं.–4 के पक्ष में अरायजनवीस लक्ष्मणदास नागपाल से अनुप्रमाणित साक्षीयों के समक्ष तहरीर करवाई। अपनी वसीयत में प्रार्थीया के हिस्सा मे अपने नाम से चक–2 के.बी.एम का मुरब्बा नं.–322/382 के 6.05 बीघा एवं अप्रार्थी सं.–4 के पक्ष मे चक–24 ए.पी.डी का मुरब्बा नं.–292/408 के 7 बीघा की वसीयत की है। बाकी अप्रार्थीगण को उनकी शादी के वक्त जो भी देना था, दान दहेज मे दे दिया, लिख कर वसीयत तहरीर कर दी। वसीयत नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाई। आवंटी भीमसैन की वसीयत दिनांक 18–8–81 प्रथम व अंतिम वसीयत है जिसकी चित्रप्रति सलग्न प्रार्थना–पत्र है प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण सं–1 ता 8 के पिता/पति मूल आवंटी ने अपनी वसीयत मे प्रार्थीया के नाम से चक–2 के बी.एम का मुरब्बा नं–322/382 के 6.05 बीघा एवं अपार्थीया सं–4 के पक्ष में चक–24 ए.पी.डी का मुरब्बा नं.–292/408 के 7 बीघा की वसीयत की। इस तरह से प्रार्थीया एवं अपार्थीया के पिता ने अपने जीवन काल में अपनी स्वेच्छया से बिना किसी दबाव के या प्रभाव के अपनी इच्छानुसार अनुप्रमाणित साक्ष्य के समक्ष अपने नाम की कृषि भूमि की वसीयत तहरीर करके नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवा दी प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण स–1 ता 8 के पिता/पति मूल आवंटी ने अपनी सभी पुत्रीयों यानि अपार्थीयान की सहमति से इच्छानुसार वसीयत दिनांक 18–8–81 को तहरीर करके पंजीकृत करवाई है। उस समय अप्रार्थीगण इस वसीयत से सहमत थी प्रार्थना–पत्र में दर्ज कृषि भुमि की वसीयत दिनांक–18–8–81 के पश्चात दुसरी वसीयत दिनांक 22–5–1990 को अनुप्रमाणित साक्षीयों के समक्ष तहरीर करके वसीयत दिनांक 18–8–81 में अप्रार्थी सं–4 के पक्ष मे चक–24 ए.पी.डी का मुरब्बा नं.–292/408 की 7 बीघा की जगह अप्रार्थी सं–3 के पक्ष में तहरीर कर दी यानि अपनी प्रथम वसीयत में मात्र यह संशोधन किया कि चक–24 ए.पी.डी का मुरब्बा नं.–292/408 के 7 बीघा अप्रार्थीया सं.–4 संतोष की जगह अप्रार्थीया सं–3 के पक्ष में की। इस तरह अपनी [illegible] अपने नाम की कृषि भुमि मे से चक–24 ए.पी.डी का मुरब्बा नं.–292/408 के 7 बीघा [illegible] अप्रार्थीया सं–4 की जगह अपनी पुत्री अप्रार्थीया सं–3 को अपनी दुसरी वसीयत के द्वारा दे दी। मूल आवंटी भीमसेन द्वारा अपनी प्रथम वसीयत को निरस्त नहीं [illegible] मात्र एक संशोधन कर अपनी दुसरी वसीयत के अनुसार चक–24 ए.पी.डी का मुरब्बा नं.–292/408 की 7 बीघा

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.07.03 12:19:13 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

अप्रार्थीया सं.–4 की जगह अप्रार्थीया सं–3 के पक्ष में तहरीर करवा दी यानि प्रथम वसीयत आज भी प्रभाव में है प्रार्थना–पत्र मे दर्ज कृषि भूमि की वसीयत दिनांक–18–8–81 मे कृषि भुमि गैर खातेदारी थी लेकिन इस कृषि भूमि की खातेदारी सनद दिनांक–17–6–1999 को आ गई जो सलग्न प्रार्थना–पत्र है। मूल आवंटी भीमसैन का देहांत दिनांक–2–8–96 को हो गया यानि मूल आवंटी भीमसैन के देहांत से पूर्व ही प्रार्थना–पत्र में दर्ज कृषि भूमि की खातेदारी मूल आ गई थी। इस तरह से वसीयत दिनांक–18–8–81 प्रभाव में आई उससे पूर्व प्रार्थना पत्र में दर्ज कृषि भुमि गैर खातेदारी कृषि भुमि थी। क्योंकि वसीयत मूल आवंटी जिसने करवाई है उसकी मृत्यु के पश्चात प्रभाव में आती है। वसीयत जब प्रभाव में आती है उस दिन कृषि भुमि खातेदारी हो जाने से वसीयत्त भू.राजस्व.उपनिवेशन अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो से प्रतिबंधित नहीं होती। इस तरह से वसीयत दिनांक–18–8–81 कानुन की नजर में वेद्य वसीयत है। वसीयत के अनुप्रमाणित साक्षी के समक्ष मूल आवंटी भीमसैन द्वाराअपनी स्वेच्छया से बिना किसी प्रभाव के अरायजनवसीय लक्ष्मणदास नागपाल से अपनी पुत्रीयों के पक्ष मेतहरीर करवाई है जो कानुन के अनुसार वैद्य वसीयत है प्रार्थना–पत्र में दर्ज कृषि भुमि आवंटी भीमसैन के नाम से चक–1 के.बी.एस का मुरब्बा नं.–322/383 के 6 बीघा 5 बिस्वा आवंटन हुई थी जो चक–1 के.बी.एस से चक–2 के.बी.एम बन गया। प्रार्थीया एव अप्रार्थीगण सं.–1 ता 8 के पति/पिता भीमसैन द्वारा वसीयत दिनांक 18–8–81 को प्रार्थीया व अप्रार्थीया सं–4 के पक्ष में तहरीर करवाई। वसीयत मे टकंन लिपिक द्वारा मुरब्बा नं.–322/383 की जगह मुरब्बा नं.–322/382 दर्ज हो गया, यह गलती मानवीय भुल है जिसे दुरूस्त कभी भी करवाया जा सकता है। क्योंकि आवंटी भीमसैन के नाम से चक–12 के.बी.एम का मुरब्बा नं.–322/383 आवंटन है। आवंटी भीमसैन के नाम से मुरब्बा नं.–322/382 रक्बा आवंटन नही है ना ही चक के इस नम्बर का कोई ब्लॉक है। इस तरह से आवंटी भीमसैन ने अपनी वसीयत मे अपने नाम से आवंटित कृषि भुमि का मुरब्बा नं.–322/383 दर्ज करवाया लेकिन टकंन करते समय उसकी जगह मुरब्बा नं.–322/382 दर्ज हो गया। इस मुरब्बा की दुरूस्ती किए जाने योग्य होने के कारण दुरूस्ती की जावे प्रार्थना–पत्र मे दर्ज कृषि भूमि की वसीयत दिनांक–18–8–81 के अनुसार प्रार्थना–पत्र मे दर्ज कृषि भूमि चक–2 के.बी.एम का मुरब्बा नं.– जावे तथा आवंटी भीमसैन की दुसरी वसीयत के अनुसार चक–24ए.पी.डी का मुरब्बा नं.–292/408 के 7 बीधा की वसीयत वर्ष 1990 के आधार पर अप्रार्थीया सं–3 जेतल के नाम [illegible] के–19–1–2012 को दर्ज किया जा चुका है। प्रार्थीया के पक्ष [illegible] तक नही किया गया है। प्रार्थीया ने वसीयत के आधार पर अपने [illegible] से इंतकाल हेतु कार्यवाही आरम्भ की है लेकिन तहसीलदार द्वारा प्रार्थीया के पक्ष में [illegible]यत के आधार पर इंतकाल आज तक दर्ज नहीं किया है इसलिए यह पार्थना–पत्र प्रार्थीया द्वारा पेश किया जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.07.03 12:19:13 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला अनूपगढ़

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

रहा है प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण सं.–1 ता 8 से दिनांक–1–5–2013 को मिल कर प्रार्थीया के पक्ष में वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने के लिए सहयोग के लिए कहा। प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण को यह भी कहा कि आवंटी प्रार्थीया व अप्रार्थीगण सं–1 ता 8 के पिता/पति द्वारा दिनांक–18–8–81 को वसीयत तहरीर करवाते समय इस वसीयत से आप लोग भी सहमत थे इसलिए इस वसीयत के आधार पर मेरे पक्ष में इंतकाल दर्ज करने के लिए सहयोग कर मेरे नाम से इंतकाल दर्ज करावाऐ। इस पर अप्रार्थीगण कतई इंकार हो गए और ऐलानीया कहा कि हम इस वसीयत को नहीं मानते है, हम प्रार्थना पत्र मे दर्ज कृषि भुमि का विरास्तन इंतकाल अपने नाम से दर्ज करवाऐगे प्रार्थीया के पक्ष में वसीयत दिनांक 18–8–81 वेद्य व कानुन की नजर से पूर्ण रूप से सही वसीयत है। प्रार्थीया इस वसीयत के आधार पर प्रार्थना पत्र में दर्ज कृषि भूमि का इंतकाल अपने नाम से करवाने के लिए कानुनी रूप से अधिकारी है। प्रार्थीया के पक्ष में वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज किया जावे। प्रार्थीया वसीयत दिनांक–18–8–81 के आधार पर इंतकाल अपने नाम से दर्ज करवाने के लिए कानुनी रूप से अधिकारी है। वसीयत कानुनी रूप से सही वा दुरूस्त है। प्रार्थीया का इस जमीन पर कब्जा काश्त वसीयत के आधार पर आज राज भी चला आ रहा है। प्रार्थीया को अप्रार्थीगण बेदखल करने का ईरादा रखते है। अगर अप्रार्थीगण अपने मकसद मे कामयाब हो गए तो प्रार्थीया को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी पुर्ति मुद्रा में नहीं की जा सकती। इसलिए प्रार्थीया अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की कानुनी रूप से अधिकारी है अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के खिलाफ इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह दौराने वाद चक–2 के.बी.एम का मुरब्बा नं.–322/383 पर प्रार्थीया के कब्जा काश्त मे बेजा मदाखलत करने, सिंचाई सुविधा में किसी प्रकार से व्यवधान पैदा करने से बाज व ममनु रहे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी सं.–1,4,5,6 की तरफ से अधिवक्ता श्री रविन्द्र बलाना एडवोकेट ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण सं.–1,4,5,6 ओर से जवाब है कि प्रार्थना–पत्र तथाकथित वसीयत गैर खातेदारी कृषि भूमि की है तथा शून्य दस्तावेजात है। वसीयत के बारे में हम प्रतिवादीगण को कोई जानकारी नहीं है। श्री भीमसैन द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि की कोई भी वसीयत निष्पादित नहीं करवायी गयी है प्रार्थना–पत्र प्रतिवादीगण को वसीयत की कोई जानकारी नहीं है। वसीयत गैर खातेदारी कृषि भूमि की है जो गैर कानूनी है तथा विधि विरुद्ध दस्तावेजात है प्रार्थना–पत्र प्रतिवादीगण की वसीयत की कोई जानकारी नहीं है वसीयत गैर कानूनी दस्तावेजात है। जिससे वादीया को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है वसीयत शून्य दस्तावेजात है प्रार्थना–पत्र भीम सैन की

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.07.03 12:19:13 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

मृत्यु हो चुकी है तथा इस कृषि भूमि की खातेदारी सनद आ चुकी है। वसीयत गैर खातेदारी कृषि भूमि की है तथा जिला कलक्टर की बिना अनुमति के निष्पादित करवायी हुई है जो विधि विरूद्ध दस्तावेजात है प्रार्थना–पत्र यदि वसीयत सही होती तो वसीयत को किसी भी समय दूरुस्त करवाया सकता है। इससे स्पष्ट है कि वसीयत स्वच्छा से एवं सहमति से तैयार नहीं की गयी है बल्कि फर्जी तरीके से तैयार की गयी है। प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सं. –3 जैतल के नाम से इन्तकाल विधि विरुद्ध दस्तावेज के आधार पर दर्ज किया गया है जो काबिल निरस्ती के है अतः जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र निरस्त फरमाया जाये। अप्रार्थीगण सं.–2 के खिलाफ दिनांक–04.07.2016 को एकपक्षीय कार्यवाही गई। अप्रार्थी सं.–7 व 8 का दिनांक–02.09.2022 को जवाब प्रार्थना–पत्र बन्द किया गया है। अप्रार्थीगण सं.–9 स्टेट की ओर स जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया कि वसीयत गैर खतोदारी कृषि भूमि की है तथा कलक्टर की मंजूरी के बिना निष्पादित की गई है। दस्तावेज अवैध कानूनीन है। गैर खातेदारी जमीन की वसीयत मान्य नहीं है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना–पत्र में दर्ज अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि चक–2 के.बी.एम का मुरब्बा नं.–322/383 पर प्रार्थीया के कब्जा काश्त मे बेजा मदाखलत करने, सिंचाई सुविधा में किसी प्रकार से व्यवधान पैदा करने से बाज व ममनु रहे। प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावें। यदि भूमि का अन्य को हस्तारण कर दिया जाता है तो मुकदमेबाजी बढ़ने की सभावना हैं ऐसी स्थिती में न्यायालय यह उचित समझता हैं कि मूल वाद के निर्णय तक विवादित भूमि चक–2 के बी.एम मुरब्बा नं.–322/383 हैक्टर की राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावें।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाकर वाके चक–2 के.बी.एम का मुरब्बा नं.–322/383 पर प्रार्थीया के कब्जा काश्त मे बेजा मदाखलत करने, सिंचाई सुविधा में किसी प्रकार से व्यवधान पैदा करने से बाज व ममनु रहे। रकबा को रहन, बैय अथवा अन्यथा हस्तांतरित न करें एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक पक्षकारान बनाये रखे। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज मेरे द्वारा **दिनांक–23.12.2024** को खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.07.03 12:19:13 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश कुमार राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़